निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 140/2020 तारीख दायरा 12.03.2020

उनवान

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ।
2. करणवीरसिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत नि.राजगढ।
3. रणवीरसिंह पुत्र श्री हनुमानसिंह जाति राजपूत नि. राजगढ।
4. प्रद्युम्नसिंह पुत्र श्री शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.राजगढ।
5. रेणुलता पुत्री श्री शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.राजगढ।
6. मेघना पुत्री श्री शिवराजसिंह जाति राजपूत नि.राजगढ।
7. श्रीमती जगदीश कुमारी बेवा श्री शिवराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा। --वादी

- बनाम

1. श्रीमती विष्णु कुमारी पुत्री श्री भीमसिंह पत्नी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी ग्राम खेजडिया तहसील सीतामउ जिला मन्दसौर, हाल निवासी जनता कॉलोनी, मंदसोर जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश।
2. एच.डी.एफ.सी. बैंक, 19, दशपुर कुंज रोड, कालाखेत, मन्दसौर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश जरिये ब्रांच मेनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक, मन्दसौर जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश।
3. भूमिधारी राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा,
4. उप–पंजीयक सांगोद तहसील सांगोद जिला — प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादी) दिनॉक :– 17.03.2021

आपजी साहब भीमसिंह जी पुत्र श्री धूलसिंह जी कौम राजपूत ठिकाना राजगढ तहसील सांगोद के तन्हा खाते एवं कब्जेकाश्त की "डोहली" रकबा 40 बीघा, "बीस्या" रकबा 45 बीघा 5 बिस्वा आराजी मौजा राजगढ तहसील सांगोद में स्थित थी जिसकी पुष्टि नकल जमाबंदी संवत् 2009–10 एवं नकल जमाबंदी संवत् 2013–16 से होती है।

सेटलमैंट अधिकारियों को कानूनी अधिकार नहीं होने के बावजूद दौराने सेटलमैंट संवत् 2015 सेटलमैंट अधिकारियों द्वारा नवीन मिसल बन्दोबस्त (सेटलमैंट जमाबंदी) संवत् 2015–24 खाता संख्या 98 तैयार करते वक्त वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी के नवीन खसरा नंबर 297 बीस्या रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 334 डोहली रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 336 बीस्या रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 की कुल 86 बीघा 1 बिस्वा कायम करके प्रतिवादी कं. 1 के नाम अंकित कर दिया जबकि सेटलमैंट अधिकारियों को वादी कं. 1 के पिता आपजी साहब भीमसिंह जी की आराजी को प्रतिवादी कं. 1 के नाम अंकित करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था जबकि वादी कं. 1 के पिता स्व. आपजी साहब भीमसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 01.09.1985 को उपरोक्त आराजी की वसीयत वादी कं. 1, वादी कं. 2, 3 के पिता स्व.हनुमानसिंह जी एवं वादी कं. 4,5,6 के पिता स्व. शिवराजसिंह जी के पक्ष में रूबरू गवाहन तहरीर कर दी थी। मुताबिक वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त आराजी मौके पर तीनों पुत्रों को सम्भला दी थी जिसे तब से तीनों पुत्रों व उनके वारिसों द्वारा बदस्तूर आज दिन तक काश्त किया जाता रहा है। वसीयतकर्ता आपजी सा.भीमसिंह जी की मृत्यूपरान्त हितग्राही हनुमानसिंह जी, शिवराजसिंह जी एवं वादी कं. 1 गजेन्द्रसिंह उपरोक्त आराजी के कानूनन मालिक व खातेदार हो गये हैं तथा स्व. हनुमानसिंह जी की मृत्यु हो जाने से उनके हिस्से की आराजी वादी कं. 2, 3 को एवं स्व. शिवराजसिंह जी की मृत्यु हो जाने से उनके हिस्से की आराजी वादी कं. 4 ता 7 को विरासतन प्राप्त हुई है जिसे बदस्तूर काश्त मुताबिक हिस्सा वादी कं. 1 लगायत 7 काश्त करते चले आ रहे हैं जिसमें दखलंदाजी अथवा मदाखलत–मजा[illegible] करने का प्रतिवादी कं. 1 को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार हासिल नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

संवत् 2058 में पुनः द्वितीय सेटलमैंट ह[illegible]ाया तथा सेटलमैंट संवत् 2058 द्वारा वादग्रस्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 665 रकबा 2.04 हैक्टर, खसरा नंबर 666 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नंबर 839 रकबा 2.92 हैक्टर, खसरा नंबर 840 रकबा 2.60 हैक्टर, खसरा नंबर 842 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 843 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 846 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नंबर 847 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नंबर 848 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर ... हैक्टर कुल किता 11 की कुल 13.93

वादी क्रं. 1 के पिता स्व. आपजी साहब भीमसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 01.09.1985 को निश्पादित वसीयत के अनुसरण में वादीगण वादग्रस्त आराजी को मौके पर निम्न प्रकार से पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा बहक वादी क्रं. 1 गजेन्द्रसिंह :–

ग्राम	साबिक ख.नं.	रकबा बीघा में
राजगढ	297 बीस्या	25 बीघा 5 बिस्वा में से 8 बीघा 9 बिस्वा
	334 डोली	38 बीघा 15 बिस्वा में से 19बीघा 10 बिस्वा
	किता 2 की	कुल 27बीघा, 19 बिस्वा

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा बहक वादी क्रं. 2, 3 करणवीरसिंह, रणवीरसिंह :–

ग्राम	साबिक ख.नं.	रकबा बीघा में
राजगढ	297 बीस्या	25 बीघा 5बिस्वा में से 8 बीघा 8 बिस्वा
	334 डोली	38 बीघा 15बिस्वा में से 19 बीघा 5 बिस्वा
	किता 2 की	कुल 27बीघा 13 बिस्वा

स. आराजी हिस्सा व कब्जा बहक वादी क्रं. 4 ता 7 प्रद्युम्नसिंह, रेणुलता, मेघना, श्रीमती जगदीश कुमारी :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम	साबिक ख.नं.	रकबा बीघा में
राजगढ	297 बीस्या	25 बीघा 5बिस्वा में से 8 बीघा 8 बिस्वा
	337 डोली	22बीघा, 1 बिस्वा
	किता 2 की	कुल 30 बीघा 9 बिस्वा

...ली प्रस्तुत कर दी व रहननामा निश्पादित कर दिया जिसका इंतकाल संख्या 536 पटवारी ...का द्वारा दिनांक 28.02.2020 खोल दिया गया। जिसकी जानकारी होते ही उसी दिन वादी ... 1 लगायत 4 द्वारा तहसीलदार सांगोद के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हलका मण्डीता द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौका निरिक्षण करके मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दी है जिसके मुताबिक भी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी क्रं. 1 का कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है बल्कि वादग्रस्त आराजी को वादीगण ही स्व. आपजी साहब मोहनसिंह जी के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मात्र सेटलमैंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्वक वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी क्रं. 1 के नाम अंकित कर देने से प्रतिवादी क्रं. 1 को किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं होते हैं।

उक्त संबंध में वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रं. 1 से मौखिक रूप से निवेदन कर राजस्व त्रुटि को दुरूस्त करवाने को कहा तो उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया तथा शीघ्र ही वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द, बेचान, रहन, हस्तान्तरित करने की धमकी दी जिसमें यदि प्रतिवादी क्रं. 1 सफल हो जाती है तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी को उक्त कृत्य नहीं करने हेतु पाबन्द करवाने एवं घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

वादपत्र की में अंकित खण्ड अ, ब, स में वर्णितानुसार वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रं. 1 का त्रुटिपूर्ण नाम अंकित होने मात्र के आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान, खुर्दबुर्द, अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें, न ही किसी प्रकार के हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन करवावें तथा प्रतिवादी क्रं. 1 वादग्रस्त आराजी में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों, कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के

पत्रावली में वसीयतनामें के गवाह विष्णु कुमारी एवं जगदीश कुमारी के शपथ पत्र पी डब्ल्यू.– 4, 7 भी प्रस्तुत किए गए।

तदुपरान्त वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के तौर पर दो स्वतंत्र गवाहों केसरीलाल एवं ओमप्रकाश के शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.– 5, 6 प्रस्तुत किए गए। पत्रावली में प्रस्तुत वसीयत दिनांक [illegible] की गवाह विष्णु कुमारी व जगदीश कुमारी ने अपने बयानों में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वसीयतकर्ता स्व. भीमसिंह द्वारा वसीयत अपने पूर्ण होश हवास में व राजी खुशी की गई थी। वसीयतकर्ता स्व. भीमसिंह द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर उनके समक्ष किए गए थे तथा वसीयतकर्ता भीमसिंह जी के कहे अनुसार वसीयत पर गवाह के रूप में उन्होने स्वयं ने हस्ताक्षर किए थे।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 प्रस्तुत किया गया जो कि स्वीकार किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तत नहीं किया तथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है, अतः पत्रावली में तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, गवाहों के बयान एवं शपथ पत्र, वसीयतनामे, वसीयतनामे के गवाह के शपथ पत्र, वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस एवं अन्य दस्तावेजों आदि के आधार पर वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। चूंकि वादग्रस्त आराजी सेटलमैन्ट पूर्व नकलजमाबन्दी सवंत 2009–10 व जमाबंदी संवत 2013–16 में आराजी वसीयतकर्ता भीमसिंह पुत्र धूलसिंह निवासी राजगढ के खाते दर्ज थी किन्तु सेटलमैन्ट सवंत 2015 के दौरान नई भू–प्रबन्ध जमाबन्दी संवत 2015–24 में उक्त भूमि प्रतिवादी सं.1 विष्णु कुमारी के खाते दर्ज कर दी जबकि पर्चा सेटलमैन्ट संवत 2015–24 वसीयतकर्ता भीमसिंह के नाम से ही सेटलमैन्ट विभाग द्वारा जारी किया हुआ है। इस प्रकार सेलटलमैन्ट विभाग को त्रुटिपूर्ण अंकन करके भीमसिंह की आराजी को प्रतिवादी सं.1 विष्णु कुमारी के नाम अंकित करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त आराजी यदि विरासतन वारिसों के नाम आती तो भी प्रतिवादी सं.1 विष्णु [illegible] नाम प्राप्त हिस्से में ही दर्ज होता परन्तु यहां प्रतिवादी सं.1 का अकेला [illegible] में दर्ज है, यह तभी हो सकता था जबकि स्व. भीमसिंह पुत्र धूलसिंह द्वारा वसीयतनामा या रजिस्टर्ड दानपत्र अथवा रजिस्टर्ड विकय विलेख पत्र के माध्यम से विवादित आराजी प्रतिवादी सं.1 विष्णु कुमारी के पक्ष में अन्तरित की जाती, परन्तु प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं.1 द्वारा इस प्रकार के किसी भी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं.1 द्वारा विवादित आराजी पर लोन हेतु आवेदन किया गया था परन्तु उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर भी प्रतिवादी सं. 1 न्यायालय में अनुपस्थित रही, अतः प्रतीत होता कि प्रतिवादी सं.1 वादपत्र में वर्णित तथ्यों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

किया समझती हूँ। अतः वाद स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश किया जाता है कि–

ग्राम राजगढ तहसील सांगोद के तन्हा खाते एवं कब्जेकाश्त की "डोहली" रकबा 40 बीघा, "बीस्वा" रकबा 45 बीघा 5 बिस्वा आराजी हाल खसरा नंबर 665 रकबा 2.04 हैक्टर, खसरा नंबर 666 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नंबर 839 रकबा 2.92 हैक्टर, खसरा नंबर 840 रकबा 2.60 हैक्टर, खसरा नंबर 842 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नंबर 843 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 846 रकबा 1.60 हैक्टर, खसरा नंबर 847 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नंबर 848 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 849 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नंबर 850 रकबा 0.86 हैक्टर कुल किता 11 की कुल 13.93 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण को मुताबिक वसीयतनामा निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा बहक वादी कं. 1 गजेन्द्रसिंह :

ग्राम	नये ख.न.	रकबा
राजगढ	665	2.04 है. में से 0.68 है. मध्य
	666	2.05 है. में से 0.68 है. मध्य
		कुल 2 किता की 1.36 है. आराजी
	840	2.60 है. में से 2.40 है. दक्षिणी
	848	0.27 है. संपूर्ण
	849	0.48 है. संपूर्ण
		कुल 3 किता की 3.15 है. आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा बहक वादी कं. 2, 3 क्र[illegible]वीरसिंह, रणवीरसिंह :–

ग्राम	नये ख.न.	रकबा
राजगढ	665	2.04 है. में से 0.68 है. पूर्वी
	666	2.05 है. में से 0.69 है. पूर्वी

कुल 2 किता की 3.12 है. आराजी

स. आराजी हिस्सा व कब्जा बहक वादी कं. 4 ता 7 प्रद्युम्नसिंह, रेणुलता, मेघना, श्रीमती जगदीश कुमारी :–

ग्राम	नये ख.न.	रकबा
राजगढ	665	2.04 है. में से 0.68 है. पश्चिमी
	666	2.05 है. में से 0.68 है. पश्चिमी

कुल 2 किता की 1.36 है. आराजी

	842	0.04 है. संपूर्ण
	843	0.07 है. संपूर्ण
	846	1.60 है. संपूर्ण
	847	1.00 है. संपूर्ण
	850	0.86 है. संपूर्ण

कुल 5 किता की 3.57 है. आराजी

उक्त प्रकार से वसीयत के आधार पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रखा जावें। उक्त घोषणा के अनुसार इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.06.28 11:40:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17.03 .2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

खण्ड अधिकारी